न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :— 03/2021

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2021/6

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 जयराम पुत्र रूगनाथाराम जी 2 सुखराम पुत्र रूगनाथराम जी 3 जगदीश पुत्र रूगनाथराम जी कौम—बिश्नोई, निवासीगण— लियादरा, तहसील व जिला—सांचौर		1 लाखाराम पुत्र उदाराम 2 हीराराम पुत्र उदाराम जातियान—बिश्नोई, निवासीगण-- लियादरा, तहसील व जिला—सांचौर 3 शाखा प्रबन्धक जालोर सहकारी कॉ—ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा अरणाय, जिला—सांचौर 4 भूमिधारी तहसीलदार सांचौर (उप पंजियक), सांचौर

प्रार्थना—पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजु :— 08.01.2021

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:— निर्णय :— दिनांक :— 11.09.2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना—पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि मौजा लियादरा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी खातेदारी भूमि व स्वअर्जित भूमि आई हुई है जिसमें मौजा लियादरा के पुराने खेत खसरा संख्या 33 रकबा 76 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 138 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 145 रकबा 69 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 141 रकबा 10 बिस्वा जुमले रकबा [illegible] 05 बिस्वा भूमि प्रथम सर्वे के वक्त पन्ना पुत्र उम्मेद के नाम खातेदारी [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सगे दादाजी थे। उनके नाम दर्ज भूमि उनके प्रथम [illegible] के वारिस हम प्रार्थी[illegible] पिता रूगनाथ व अप्रार्थीगण के पिता उदाराम के नाम द[illegible] होनी चाहिए थी क्योंकि [illegible] के तीसरा पुत्र लाडु मोतीजी के गोद चला गया था, इसलिए पन्नाजी की भूमि के प्रथम अनुसूची

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

के वारिस हमारे पिता रूगनाथ व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता उदाराम थे जिनके नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी, परन्तु ग्राम पंचायत लियादरा ने व हल्का पटवारी ने बिना आधार के बिना कोई जांच किये पन्नाजी के तीनों पुत्रों में लाडू के गोद जाने के बाद शेष दो पुत्रों के नाम नामान्तरकरण खोलना चाहिए था जो न खोलकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 4 के मात्र एक उदाराम के नाम खोलकर स्वीकृत कर दिया, जिससे हम पन्नाजी के प्रथम अनुसूची के वारिस होते हुए भी हमारा नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं कर हमारे पिता को खातेदारी हक से वंचित रखना चाहा जिसकी जानकारी हमें अभी ही हुई है। हमारे पिता रूगनाथराम व उदाराम दोनों अलग हुए तब उक्त संपूर्ण भूमि में 180 बीघा 05 बिस्वा में समान रूप से 1/2, 1/2 हिस्से पर आपस में बंटवाड़ा कर दिया व कुल भूमि के 1/2 हिस्से पर हम प्रार्थीगण ढाणी बनाकर निवास कर रहे है तथा 1/2 हिस्से पर अप्रार्थीगण 1 व 2 के पिता ढाणी बनाकर निवास कर रहे थे तथा समान रूप से काश्त करते थे, अभी दोनों भाइयों के परिवार बढ़ जाने से मामूली विवाद को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने धमकी दी कि तुम्हारे कब्जे की भूमि जहां तुम पुश्तैनी रूप से काबिज हो, वह हमारे नाम दर्ज हुई है, इसलिए तुम्हें खाली करवा देंगे तथा उसमें बनी ढाणी को तोड़फोड़ कर धवस्त कर देंगे तब हमने कहा कि हमारी भी 1/2 हिस्से में खातेदारी दर्ज है तब अप्रार्थीगण 1 व 2 ने कहा कि तुम्हारा नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है तब हमने पटवारी से रेकर्ड की तहकीकात की तो ज्ञात हुआ कि जहां हम पुश्तैनी भूमि पर काबिज है पन्नाजी के बाद उनके दोनों पुत्रों के नाम दर्ज होनी चाहिए थी जो दोनों के नाम दर्ज नहीं होकर मात्र अकेले उदाराम के नाम हो गयी। उक्त वादग्रस्त आराजी के नये सर्वे के दौरान नवसृजित खसरा संख्या 100, 101, 102, 387, 388, 389, 390, 395, 402, 403, 404, 405 रकबा क्रमशः 1.70, 10.51, 0.14, 0.01, 0.04, 3.14, 0.08, 2.27, 0.01, 0.04, 0.05, 11.19 जुमले रकबा 29.18 हैक्टेयर दर्ज हुए। जिसमें 1/2 हिस्सा हम प्रार्थीगण का दर्ज होना चाहिए था जो नहीं हुआ संपूर्ण भूमि जो पन्नाजी के नाम दर्ज थी, जो पन्नाजी के दो उतराधिकारी होते हुए भी एक उतराधिकारी बताकर संपूर्ण भूमि उदाराम के नाम दर्ज कर दी इसलिए गलत इन्द्राज को अपास्त करने व पुश्तैनी हक प्राप्त करने के लिए वाद अलग से पेश किया जा चुका है हमने वाद मजबूत आधारों पर पेश किया है जिसमें तीन मूलभूत आधार स्तंभ प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू पर गौर किया जावे तो तीनों ही वाद के आधार स्तम्भ हम प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रथम दृष्ट्या यह भूमि पुश्तैनी है तथा पन्नाजी के नाम प्रथम सर्वे के वक्त खातेदारी रही है। पन्नाजी के फौत होने पर उनके हम दो वारिस उत्तराधिकारी है यह दस्तावेजी सबूत में प्रमाणित है तथा पुश्तैनी भूमि पर पीढ़ी दर पीढ़ी [illegible] रहा है यह भी प्रमाणित है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन [illegible] प्रमाणित है। हम इस भूमि के जन्म से हम खातेदार है तथा पुश्तैनी जमीन से हमारे को हक से वंचित किया जाता है तो हमें अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन रूपये पैसे में नहीं किया जाता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें कि मौजा लियादरा के खेत खसरा संख्या 100,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

101, 102, 387, 388, 389, 390, 395, 402, 403, 404, 405 रकबा क्रमशः 1.70, 10.51, 0.14, 0.01, 0.04, 3.14, 0.08, 2.27, 0.01, 0.04, 0.05, 11.19 जुमले रकबा 29.18 हैक्टेयर को अप्रार्थीगण आगे बैचान अथवा हस्तांतरण नहीं करें, मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखें। इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि पन्ना वल्द उमेदा बिश्नोई के तीन जायन्दा बेटे रूगनाथ (फौत), लाडूराम (फौत) व उदाराम भी फौत बेटे अवश्य थे परन्तु ये तीनों स्व. पन्ना की पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी के विधिक वारिसदार नहीं थे, चूंकि लाडू पन्ना के कुटूम्बी भाई मोती वल्द उम्मेदा बिश्नोई के जीवनकाल में ही गोद चले गये थे तथा रूगनाथ जो पन्ना के बड़े बेटे थे वो पन्ना की पुश्तैनी आराजी में से अपना आधा हिस्सा लेकर प्रथम भू–प्रबंध से पूर्व ही अलग हो चुके थे इसलिए पिछे जो भूमि वादग्रस्त पन्ना के नाम की बची थी जो छोटे बेटे उदाराम के बंट की बची थी, उदाराम छोटा बेटा अपने पिता पन्ना के साथ रहने से पन्ना की खातेदारी में इन्द्राज हो गया था तथा पन्ना ने अपने बंट में कोई हिस्सा रूगनाथ के अलग होते समय नहीं लिया था। पन्ना वल्द उम्मेदाजी बिश्नोई की संवत् 2015 में मृत्यु हो गई। ऐसी अवस्था में स्व. पन्ना की मृत्यु के समय उनके अविभाजित पुत्र उदाराम पुत्र पन्नाजी एवं उदाराम के जायन्दा बेटे लाखाराम, हीराराम भी परिवार के सहदायिक सदस्य थे। चूंकि स्व. पन्ना ने अपने जीवनकाल में अपने पास जो पुश्तैनी भूमि के रूप में खेत खसरा नंबर 72, 140, 139, 146 कुल रकबा 180 बीघा व खेत खसरा संख्या 33, 138, 141, 145 कुल रकबा 180 बीघा जुमले रकबा 361 बीघा भूमि थी उनका भू–विभाजन प्रथम सेटलमेंट से पूर्व रूगनाथ के अलग होते समय कर दिया था इसलिए प्रथम भू–प्रबंध में रूगनाथ के बंट की पुश्तैनी रूप से प्राप्त कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 72, 140, 139, 146 जुमले रकबा 180 बीघा भूमि सीधे रूगनाथ के खातेदारी में ही इन्द्राज हो गई तथा जो भूमि अप्रार्थी संख्या 1, 2 के पिता उदा वल्द पन्ना के बंट में आई थी वो भूमि उदाराम के अपने पिता पन्नाजी के साथ रहने से पन्नाजी के खातेदारी में प्रथम भू–प्रबंधन के समय दर्ज हो गयी। पन्ना की मृत्यु होने पर उनके खातेदारी में जो विभाजित हिस्सा उदाराम के छोटे बेटे के हिस्से में आराजी रकबा 180 बीघा 5 बिस्वा भूमि बाप पन्ना के साथ रहने से इन्द्राज हुई थी पन्ना की मृत्यु के बाद उनके विधिसम्मत वारिस जो इसे प्राप्त करने का हकदार हो उसकी सरसरी जांच कर ग्राम पंचायत बिजरोल ने बाद जांच फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 05 दिनांक 07.10.1970 पारित किया जो पूर्णतया विधिसम्मत था। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की दिनांक 07.10.1970 से बिघोड़ी अदा कर रहे है तब से वादग्रस्त भूमि आदिनांक 50–55 वर्षों से अधिक समय से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व इनके पिता के नाम से मौका पर पृथक काबिज काश्त होकर गिरदावरी इनके नाम दर्ज होती रही है। वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा संख्या 33, 138, 145, 141 जुमले रकबा 180 बीघा 5 बिस्वा मौजा लियादरा वर्तमान खसरा संख्या 100, 101, 102, 387, 388, 389, 390, 395, 402, 403, 404, 405 जुमले रकबा 29.18 हैक्टेयर पर प्रथम भू–प्रबंधन से पूर्व से जब रूगनाथ प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

पिताजी अपना हिस्सा लेकर अलग हुए तब से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व उनके मृतवफी पिताजी उदाजी निरन्तर काबिज काश्त है। ऐसी अवस्था में उपरोक्तानुसार न तो वादग्रस्त भूमि पर प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण विधिनुसार कोई हक बनता है एवं न ही प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि के विगत 50–55 वर्षों के अंतराल में जमाबंदी, गिरदावरीयों में नाम नहीं होने तथा इस अन्तराल में कभी लगान अदा करना प्रमाणित नहीं होने से कब्जा व स्वत्व के अभाव में सुविधा का संतुलन भी कब्जा विहीन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में प्रमाणित है। ऐसी अवस्था में कब्जा व स्वत्व के अभाव में यदि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व किसी प्रकार का कोई अस्थाई व्यादेश प्रार्थीगण के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो वादग्रस्त भूमि के कब्जाधारी खातेदारान् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों पैसों या दृव्य में आंकना कतई मुमकिन नहीं होगा। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन, विधिवर्जित व म्याद बाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 3 व 4 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई और उस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अध्ययन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया।

अतः हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारभूत बिन्दूओं के आधार पर विवचेन करते हुए निर्णित करना उचित समझते है :–

1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :– प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार पन्नाजी के पौत्र एवं कानूनीयां वारिस होने का कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। वर्तमान राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजी के तकरीबन प्रथम सेटलमेंट से रिकॉर्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया कि पन्ना वल्द उम्मेदा से प्रथम भू–प्रबंधन से पूर्व ही बड़ा बेटा रूगनाथ उपरोक्त पुश्तैनी संपति में से आधा हिस्सा लेकर पृथक होना दर्शाया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी से संबंधित हक–हकूकों का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात निर्धारण के पश्चात साक्ष्य सबूतों के आधार पर होगा। राजस्व मण्डल ने अपने अनेक न्याय निर्णयन में यह निर्धारित किया है कि [illegible] खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रथम मामला उनके पक्ष में बखूबी सिद्व होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:02 IST
Reason: SelfAttested

2. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना कथन किया है, परन्तु पत्रावली पर इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वर्तमान रिकॉर्डेड खातेदार है एवं उदाराम की मृत्यु के पश्चात् निरन्तर गिरदावरी उनके नाम से दर्ज की जा रही है। इससे यह सिद्व होता है कि वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में काश्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा की जा रही है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में भलीभांति सिद्व होता है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– पूर्व विवेचित बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में साबित हो चुके है। वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से रिकॉर्डेड खातेदार का कृषि आदान अनुदान, बैंक से लोन प्राप्ति, रहनमुक्ति एवं कृषि भूमि के विकास आदि से वंचित हो जाएगा। इस प्रकार खातेदारों को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है, अतः यह बिन्दू बहक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित एवं विधिसंगत नहीं समझते है।

:– आदेश :–

अतः विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी – सांचौर जिला जालोर (राज.)

निर्णय आज दिनांक **11.09.2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी – सांचौर जिला जालोर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner